उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या-6/2016/वे0आ0-2-155/दस-69(सामान्य)/2010
लखनऊः दिनांक : 12 फरवरी, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-3075/दस-69(सामान्य)/2010, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ के लिये विभिन्न श्रेणी के कुल 15 पदों का सृजन किया गया। उक्त पदों का कार्यकाल कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-56/दस-69(सामान्य)/2010, दिनांक 21 जनवरी, 2015 द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक के लिये बढाया गया। उक्त सभी पदों की आवश्यकता विभाग में बनी हुयी है, अतः राज्यपाल महोदय निम्नांकित सभी 15 पदों की निरन्तरता दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक के लिये, यदि इसके पूर्व ही इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय, बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वरिष्ठ परामर्शदाता	वेतन बैण्ड-3 ग्रेड वेतन 7600/-	02
2	विशेष कार्याधिकारी (नियमावली)	वेतन बैण्ड-3 ग्रेड वेतन 6600/-	01
3	विशेष कार्याधिकारी (विधि0)	वेतन बैण्ड-3 ग्रेड वेतन 6600/-	01
4	शोध अधिकारी	वेतन बैण्ड-3 ग्रेड वेतन 5400/-	01
5	समीक्षा अधिकारी	वेतन बैण्ड-2 ग्रेड वेतन 4800/-	02
6	सहायक समीक्षा अधिकारी	वेतन बैण्ड-2 ग्रेड वेतन 4200/-	02
7	कम्प्यूटर सहायक	वेतन बैण्ड-1 ग्रेड वेतन 2400/-	02
8	अनुसेवक	वेतन बैण्ड-1 ग्रेड वेतन 1800/-	04
कुल पदों की संख्या			**15**

2- उपर्युक्त पदों के पदधारकों (संविदा कर्मचारियों को छोड़ कर) को सम्बन्धित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते एवं सुविधाएं जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जायें, देय होंगे।

3- उपर्युक्त सृजित पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

105-विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियॉ-01-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

अजय अग्रवाल
सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-6/2016/वे0आ0-2-155(1)/दस-69(सामान्य)/2010, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (सेवाएं) अनुभाग-1
4- वित्त (सेवाएं) अनुभाग-4
5- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, कार्यालय मुख्य सचिव समिति (दो प्रतियों में)
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11- सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/2/5/6

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।